

To,  
Hon'ble Court National Green,  
Tribunal Principal Bench  
New Delhi-11001.

Sub - Case No 428/2023, में दिया गया Affidavit दूसरे अदमी दुवारा दिया गया है, यानी यह Case Man Singh के खिलाफ होने बावजूद जो Affidavit दिया गया वो Sarpreet Singh की तरफ से दिया गया यहां तक उस, Affidavit पे जो Address हे वह भी गलत लिखा है। मानयोग कोर्ट को जानकारी देने बारे में, जहाँ तक के 150 के करीब पेड़ों को काटा गया जबकि जो 22/01/24 को 39550 रुपये इस गाँव के प्रधान दिआल सिंह के पास काटे गये पेड़ों पैसे दिये गये बह पैसे 150 पेड़ों की कीमत है जा एक पेड़ की जा आदें पेड़ की।

श्री मान जी,

विनम्रता सहित नवेदन है की मैं S.C. Kaushal (President) Patarkar Morcha Association (Regd.) H/No 780-C, Urban Estate PO PTU Pin Code 144603, Dist Kapurthala, PB. श्री मान जी मैं मान योग कोर्ट से नवेदन करना चाहता हूँ की Case No 428/2023 में 22/01/24 को दिया गया Non Judicial Stamp & Affidavit, जो Sarpreet Singh की तरफ से कोर्ट में जमां करवाया गया है कया वो जिस के खिलाफ Case है यानी यह Case मान सिंह के खिलाफ है यह affidavit भी Man Singh की तरफ से ही दिया जाना चाहिये था।

दुसरा मानयोग कोर्ट यह वी नवेदन करना चाहता हूँ जो के बहुत जरूरी है बुह यह की कोर्ट में जमां किया गया Affidavit, Non Judicial Stamp जो के 50 रुपये का है उस Affidavit & Stamp पेपर पर Address लिखा गया बह वी गलत दुसरी जगह का है ना के Sarpreet Singh के पते का यानी Affidavit & Stamp दोनों, ही गलत अदमी की तरफ से तो दिया ही गया था। और उस पे लिखा गया Address भी गलत दिया गया। अब मानयोग कोर्ट को गमराह करने के लिये था जा मान योग कोर्ट के साथ भी कोई खेल खिला गया Man Singh & Sarpreet Singh कया करना चाहते यह तो भगवान ही जाने।



**S.C. Kaushal**  
पैटर्कार मर्चा मोर्चा (रजि.)  
कपूरथला 144601 (पंजाब)

(3) मानयोग कोर्ट यह वी नवेदन करना चाहता हूँ मान सिंह ने जो यह Lord Krishna College जो के पिछले 25,30 साल से गाँव की पंचायती ज़मीन पर नाजायज कब्रजा करके तो बनवाह ही रखां था । और यह कोलज नां तो पंजाब सरकार से मंजूर था और ना ही भारत सरकार से मंजूर करवाने चैसठा की यानी सब कुछ अपनी दादागिरी से चल रहा था कोई किसी का कोई डर नहीं। कियोकि यह अदमी पंजाब कंग्रेस पार्टी का जिलां प्रधान जो ठेहरा।

(4) मैं मानयोग कोर्ट को यह वी नवेदन करना चाहता हूँ जब मैं पहले वाले DC Karnail Singh सहिब से उनके Office, में पेड़ो के कटाने, और पंचायत की ज़मीन पे नाजायज कब्रजां करके बनाये गये Lord Krishna College और उस के आस पास 10 ऐकड़ 06 कनाल ज़मीन जिस को यह कॉलेज,की Grond के तोर पे इसतेमाल करता था। उस गरोड़ में लगाए गये पेड़ो के काटने की रुपोट जानी दरखसत देने को उस समय के DC सहिब Kapurthala Office में गया उन्होने उस दरखवास्त को लेने से इस करके इंनकार कर दिया के यह वी तो हो सकता है उन पेड़ो को मान सिंह ने लगवये हो। इस लिए मैं आप की यह दरखसत नहीं ले सकता। हालांकि DC, सहिब के इस सवाल के जबाब मैं यह जरूर कहां की Sir, अगर आप दी पुंछतेनी ज़मीन पर आज में 100 पेड़ो के पोदै लगा दुं तो कियां 20 साल के बाद जब बुह पोदै पेड़ बन बन जाये गे तब उन पेड़ो को काटने के लिये मैं जाउंगा तब उन पेड़ो को आप काटने दो गे क्यूँकि उन पेड़ो को मेने लगाया था। इस का मतलब यह तो नहीं हो सकता कि उन पेड़ो काटने का हक मेरा हो गया कियो उन पेड़ो को मेने लगाई था, बुह ज़मीन तो मेरी नहीं थी।

धन्यवाद सहित

Dt-05/08/24.



S.C. Kaushal

(President) Patarkar

Morcha Association

(Regd.) Kapurthala.

9478375125

**S.C. Kaushal**  
 पैनीट्रे पंजाब मरचा मोर्चा (रजि.)  
 वपुरथला 144601 (पंजाब)